न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– रवि जैन
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 143/2019

नन्द किशोर सोनी, पंचदेव मंदिर के पास, खेमी सती रोड, झुंझुनू।

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलेक्टर) झुंझुनूं।

– –

सूचना का अधिकार अधिनियम
के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील.

आदेश

दिनांक 23.09.2019

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 29.08.2019 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 143/2019 पर दिनांक 29.08.2019 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलेक्टर) झुंझुनूं के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलेक्टर) झुंझुनूं को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलेक्टर) झुंझुनूं से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2019/1309–10 दिनांक 06.09.2019 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलेक्टर) झुंझुनूं ने पत्रांक एफ. 16(4)(5)न्याय/सू0अ0/2019/2880 दिनांक 19.09.2019 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी का आवेदन इस कार्यालय मे दिनांक 08.07.2019 को इस कार्यालय मे प्राप्त हुआ था। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 30.05.2019 को प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र पर की गई कार्यवाही की सूचना चाही गई थी। अपीलार्थी द्वारा चाही गई उक्त सूचना के संबंध मे इस कार्यालय के पत्र कमांक प.40( )( )राज/सू0अ0/2019/621 दिनांक 13.09.2019 द्वारा सूचनार्थ पत्र भिजवाया गया है। अतः अपीलार्थी का प्रथम अपील का प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने की कृपा करे।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं।
6. लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलेक्टर) झुंझुनूं द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी का आवेदन उनके कार्यालय मे दिनांक 08.07.2019 को इस कार्यालय मे प्राप्त हुआ था। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 30.05.2019 को प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र पर की गई कार्यवाही की सूचना चाही गई थी। अपीलार्थी द्वारा चाही गई उक्त सूचना के संबंध मे उनके कार्यालय के पत्र कमांक प.40( )( )राज/सू0अ0/2019/621 दिनांक 13.09.2019 द्वारा सूचनार्थ पत्र भिजवाया गया है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 23.09.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रवि जैन)
जिला कलक्टर, झुंझुनू
जिला कलेक्टर झुन्झुनू